संख्या: 981 /21-1-99-1(48)/98

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 1999

विषय:- सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू का कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या: 4171/21-89-1-1980 दिनांक 7-10-1989 के अनुक्रम में शासनादेश सं0 4865/21-90-1(2)/90, दिनांक 19 नवम्बर, 1990 द्वारा सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रयोग को अधिसूचित किया गया था जिनमें से निम्नलिखित तीन प्रयोजनों का अनुपालन शासन स्तर पर अपेक्षित था :-

(1) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन ।

(2) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में भी जारी किया जाना

(3) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन ।

2- उपर्युक्त तीनों प्रयोजनों में से मात्र गजट का उर्दू में प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है और शेष दोनों प्रयोजनों का अनुपालन किसी भी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है । यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है और शासन को इन प्रयोजनों का अनुपालन कराने के लिए समय-समय पर प्रत्यावेदन भी प्राप्त होते रहते हैं ।

अतएव निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तर- एक में उल्लिखित शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । कृपया अनुपालन/प्रगति की स्थिति से त्रैमासिक आधार पर अनिवार्य रूप से भाषा अनुभाग-1 को अवगत कराया जाय जिससे अनुश्रवण किया जा सके ।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या: 981 (1)/21-1-99-1(48)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3- समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव ।

आज्ञा से,

(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव

मु0/2...